



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

लेन नं0 3, भवन संख्या-23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून।

E-mail: ukmssbdun@gmail.com Website: www.ukmssb.org, Phone:0135-2665366

पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/19/2024-25/307

दिनांक: 19 अप्रैल 2025

उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 276 बैकलॉग पदों हेतु प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) के उपरान्त सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/19/2024-25/173, दिनांक: 27 फरवरी, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 276 बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

02- उक्त के क्रम में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) के पश्चात् ऐसे अभ्यर्थियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है जिन्होंने विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं किया गया है या अर्हता धारित नहीं करते हैं या श्रेणी-उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं या वैध नहीं है या वांछित अभिलेख ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराये हैं।

03- बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार जारी अभ्यर्थियों की सूची के सम्बन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी अपनी अर्हता/अभ्युक्ति के सापेक्ष कोई कथन लिखित रूप में देना चाहते हैं तो अपना प्रत्यावेदन बोर्ड कार्यालय में मात्र ई-मेल ukmssbexam@gmail.com पर, व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी माध्यम से निर्धारित प्रारूप के साथ स्वप्रमाणित साक्ष्य सलग्न कर **दिनांक 19 अप्रैल 2025 (शनिवार) से 22 अप्रैल 2025 (मंगलवार) सांय 05.**

00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। यह अंतिम अवसर है, उक्त के पश्चात् किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

04- उक्त आपत्तियां अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर जारी की जा रही है। परीक्षा के किसी भी चरण में अभिलेखों के मूल से मिलान न होने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों की वैद्यता ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **31 मार्च 2025** से पूर्व के निर्गत होने चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि से बाद के जारी प्रमाण पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा किसी भी प्रकरण पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

संलग्नक- अनर्ह/अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

2 परिशिष्ट क- प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप।

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER (BACKLOG) EXAMINATION-2025**Format for Representation of rejection or Remark****(Please fill clearly with Blue Ball Pen)**

Registration Number		Candidate's Name	
Date of Birth		Candidate's Father/ Husband Name	
Remark (Please write here cause of rejection as per rejection list):		Candidate's Representation:	
Number of Attachment:		(Signature Candidate)	
Date:			
		Contact No.	
		Mail Id.:	

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति
1	3020250015	अभ्यर्थी द्वारा लोकोमोटर डिसेंबिलिटी दिव्यांगता उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन में दिव्यांगता उपश्रेणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा" अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	3020250020	अभ्यर्थी द्वारा लोकोमोटर डिसेंबिलिटी दिव्यांगता उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन में दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा" अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	3020250053	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 23 अप्रैल 2024) संलग्न नहीं किया गया है, तथा आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की https://eservices.uk.gov.in वैबसाइट पर जांच करने पर भी प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो कि मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
4	3020250059	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
5	3020250068	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
6	3020250076	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
7	3020250077	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
8	3020250089	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
9	3020250115	अभ्यर्थी द्वारा लोकोमोटर डिसेंबिलिटी दिव्यांगता उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त पद हेतु जारी विज्ञापन में दिव्यांगता श्रेणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार ओ0एल0 दिव्यांगता श्रेणी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा" अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

10	3020250140	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 05 नवम्बर, 2019) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
11	3020250149	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
12	3020250173	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 अप्रैल, 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
13	3020250237	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
14	3020250241	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (दिनांकित 02 फरवरी, 2023) संलग्न नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।
15	3020250259	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 28 अक्टूबर 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

16	3020250297	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 28 मार्च, 2025) की प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है आवेदन पत्र में अंकित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की https://eservices.uk.gov.in वैबसाइट पर जांच करने पर भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 तक जारी नहीं हुआ है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
17	3020250311	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित स्थाई निवास प्रमाण पत्र (दिनांकित 19 मार्च, 2025) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 19 मार्च, 2025) की प्राप्ति रसीद संलग्न की गयी है। आवेदन पत्र में अंकित स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र की https://eservices.uk.gov.in वैबसाइट पर जांच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि उक्त दोनों प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 के उपरान्त जारी हुए हैं। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है तथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत हुआ है जोकि नियमानुसार मान्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
18	3020250323	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
19	3020250330	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न किये गये स्थाई निवास प्रमाण पत्र तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र किसी अन्य नाम से निर्ग किये गये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अभ्यर्थी का दिल्ली मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 20 नवम्बर 2022 को समाप्त हो गई है। काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 31 मार्च 2025 तक वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
20	3020250351	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय (जिला नई दिल्ली) दिल्ली द्वारा निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
21	3020250352	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण श्रेणी किसी अन्य व्यक्ति का अंकित तथा संलग्न किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

22	3020250358	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
23	3020250370	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
24	3020250395	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
25	3020250420	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी स्वयं पूर्व सैनिक नहीं है। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
26	3020250444	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है, परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
27	3020250451	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की अंतिम तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की शुल्क रसीद संलग्न नहीं की गई है।
28	3020250458	अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
29	3020250477	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 19 फरवरी 2014) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
30	3020250482	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में गलत स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या अंकित की गई है तथा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
31	3020250497	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 नवम्बर 2017) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

32	3020250505	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 13 जनवरी 2020) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
33	3020250546	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 03 नवम्बर 2017) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
34	3020250547	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 01 जुलाई 2017) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
35	3020250588	अभ्यर्थी द्वारा वांछित दस्तावेज यथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस की अंकतालिका तथा डिग्री सार्टिफिकेट एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
36	3020250614	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
37	3020250623	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 21 सितम्बर 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

38	3020250647	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
39	3020250657	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
40	3020250661	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 28 मार्च 2019) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
41	3020250681	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
42	3020250685	अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती है। अभ्यर्थी बी0एम0एम0एस0 शैक्षिक अर्हता धारित करती है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
43	3020250694	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
44	3020250704	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित अनुसूचित जाति श्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
45	3020250706	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 26 जून 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
46	3020250717	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 03 सितम्बर 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

47	3020250736	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 27 मई 2015) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
48	3020250750	1. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। 2. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र दिल्ली से जारी हुआ संलग्न किया गया है जबकि आवेदन पत्र में अल्मोड़ा जनपद से जारी किया हुआ उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि " अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। " 3. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी में अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में पदक विजेता का उल्लेख किया गया है परन्तु उपश्रेणी का कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। प्रश्नगत पद लेवल-10 का है और विज्ञापन के नियम 15- एल में स्पष्ट उल्लेख है कि लेवल-10 के पद हेतु ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता/प्रतिभागी को ही उक्त उपश्रेणी का लाभ दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
49	3020250757	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश से जारी हुआ संलग्न किया गया है जबकि आवेदन पत्र में अल्मोड़ा जनपद से जारी किया हुआ उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-एच में स्पष्ट उल्लेख है कि " अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।"
50	3020250762	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण का उल्लेख किया गया है परन्तु आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
51	3020250773	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 04 मई 2017) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

58	3020250861	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
59	3020250878	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
60	3020250885	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में दिव्यांगजन उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगजन उपश्रेणी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
61	3020250890	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 29 जून 2019) ऑनलाई आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
62	3020250970	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 दिसम्बर 2018) ऑनलाई आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
63	3020251008	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाई आवेदन पत्र में कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी में अन्तराष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में पदक विजेता का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद लेवल-10 का है और विज्ञापन के नियम 15- एल में स्पष्ट उल्लेख है कि लेवल-10 के पद हेतु ओलम्पिक खेलों में पदक विजेता/प्रतिभागी को ही उक्त उपश्रेणी का लाभ दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी को कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

64	3020251020	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 03 अगस्त 2017) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
65	3020251025	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु पूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। आवेदन पत्र के साथ उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है।
66	3020251057	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 08 जुलाई 2016) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
67	3020251069	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 12 जून 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

अनर्ह / अभ्युक्तियुक्त अभ्यर्थियों की सूची

68	3020251096	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 20 जनवरी 2018) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>
69	3020251152	<p>अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित तथा संलग्न अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र (दिनांकित 02 मार्च 2020) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैद्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15 एच में स्पष्ट उल्लेख है कि "अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।" चूंकि अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वैद्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्थाई निवास प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।</p>